पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

वंदना कुमारी भगत

बनाम

दिपेश चौरसिया

2019 की विविध क्षेत्राधिकार मामला सं.1452

10 नवंबर 2022

(माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्त्री की आर्थिक स्थिति, सुरक्षा संबंधी आशंका एवं भरण-पोषण वाद लंबित होने की स्थिति में न्याय के हित में सासाराम से बक्सर में आपराधिक वाद का स्थानांतरण उचित है।

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता को सासाराम जाकर मुकदमे की पैरवी करने में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, यह स्थानांतरण आवेदन स्वीकृत किया जाता है। (पृष्ठ 2)

न्याय दृष्टान्त

कोई उद्धृत नहीं।

अधिनियमों की सूची

कोई उल्लेख नहीं।

मुख्य शब्दों की सूची

आपराधिक वाद का स्थानांतरण; दहेज उत्पीड़न; भरण-पोषण वाद; महिला की सुरक्षा; पक्षकारों की सुविधा

प्रकरण से उत्पन्न

सासाराम (टी) थाना कांड सं. 948/2018

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अनिरुद्ध मिश्रा, श्री कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता

विपक्ष/ओं के लिए : श्री साकेत कुमार सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की विविध क्षेत्राधिकार मामला सं.1452

==========

वंदना कुमारी भगत, पति-दीपेश चौरसिया, पिता-राजीव कुमार भगत, निवासी ग्राम-स्टेशन रोड, डुमरांव, वार्ड सं. 4, थाना- डुमरांव, जिला-बक्सर

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

दीपेश चौरसिया, पिता-हरिद्वार प्रसाद चौरसिया, निवासी-आलमगंज, थाना- सासाराम (शहर), जिला रोहतास

... ... विपक्ष/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अनिरुद्ध मिश्रा,
श्री कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता

विपक्ष/ओं के लिए : श्री साकेत कुमार सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार

मौखिक निर्णय

तारीखः 10-11-2022

पक्षों को सुना गया।

वर्तमान याचिका 2018 की सासाराम (टी) थाना कांड संख्या 948 को सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) की न्यायालय से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर की न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दलील दिया गया है कि याचिकाकर्ता का विवाह हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार 23.11.2017 को विरोधी पक्ष के साथ किया गया था और उसके बाद विरोधी पक्ष द्वारा दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था। उसका पति शराब पीने के बाद नशे की हालत में घर में आता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। विवश परिस्थितियों में, उसने विपक्षी और अपने ससुराल वालों के विरुद्ध 2018 की सासाराम (टी) थाना कांड संख्या 948 के तहत

प्राथमिकी दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने अपने भरण-पोषण के लिए बक्सर के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में भरण-पोषण मामला संख्या 115/2018 भी दायर किया है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्ष की ओर से पेश हुए हैं लेकिन स्थानांतरण याचिका में दिए गए बयानों के विरोध में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दिया है कि याचिकाकर्ता को अपनी जान का खतरा महसूस होता है और अगर वह अपना मामला लड़ने के लिए सासाराम आती है तो विरोधी पक्ष द्वारा उसे धमकी दी गई है। याचिकाकर्ता के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर है और इसलिए, उसके लिए मामला लड़ने के लिए सासाराम की यात्रा करना संभव नहीं है।

याचिकाकर्ता को मामले को लड़ने के लिए सासाराम की यात्रा करने में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, स्थानांतरण के लिए इस आवेदन की अनुमति है। रोहतास (सासाराम) के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय में लंबित 2018 की सासाराम (टी) थाना कांड संख्या 948 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर की न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। पक्षगण 5 दिसंबर, 2022 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर की न्यायालय में पेश होंगे और उसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर की न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी। चूंकि याचिकाकर्ता ने बक्सर के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में 2018 की भरण-पोषण मामला संख्या 115 दायर किया है, इसलिए विपक्षी को उपस्थित होकर मामले में आवश्यक *पैरवी* करना आवश्यक है। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर को आज से तीन महीने के भीतर उपरोक्त रखरखाव मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि विरोधी पक्ष उपरोक्त भरण पोषण मामले के निपटारे में सहयोग नहीं करता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर एकतरफा कार्रवाई करेंगे।

उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के न्यायालय के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर को इसके तत्काल अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(संदीप कुमार, न्यायमूर्ति)

हर्ष/बी. टी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।